न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 90/2016 दायरा दिनांक : 12.02.2016

उनवान

भूरा आयु 57 साल दत्तक पुत्र गणेश, जाति चमार, निवासी राई, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामहेत आयु 36 साल पुत्र श्री प्रताप, जाति चमार, निवासी राई हाल निवासी बडोरा, तहसील अटरू, जिला बारां

2– बनवारी आयु 31 साल, पुत्र श्री नन्दा, जाति चमार, निवासी राई, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.12.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 87/2014 निर्णय दिनांक 30.11.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें स्थगन आदेश प्राप्ति हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम राई, तहसील छीपाबडोद, जिला बरारां की आराजियात खसरा नम्बर 618, 619, 620, 621, 623 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा अपीलांट के

शामलाती खातेदारी की है जिसमें अपीलांट का 1/5 हिससा, जिस अपीलांट ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा अपीलांट को उसके 1/5 हिस्से आराजी पर ताफैसला वाद रेस्पोडेंट क्रमांक 1 व 2 जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करें तथा अपीलांट को शांतिपूर्वक काबिज काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.09.2014 को आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया था कि दौराने वाद उक्त वर्णित आराजियात कीमौके की यथास्थित बनाये रखने का आदेश दिया था किन्तु अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अपीलांट अपने खाते हक व हिस्से की 1/5 आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर न करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पूर्व में न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र निर्णीत किया गया है । वर्तमान में सुविधा का संतुलन, न अपूर्णीयक्षति अपीलांट के पक्ष में नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रार्थना पत्र पर उचित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा